कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी, शाहदरा और उत्तर–पूर्व, जिला न्यायालय परिसर, कड़कड़डूमा, दिल्ली

नीलामी सूचना

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश Office of the Distt. & Sessions Judges द्वारका न्यायालय नई दिल्ली
21 JUN 2024
340
Dwarka Courts New Delhi

जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा, दिल्ली के बी–ब्लाक भूतल (बी–ब्लाक बेसमेंट पार्किंग) में बेकार पड़ी वस्तुओं की नीलामी दिनॉक **04.08.2025 को दोपहर 03:00 बजे** बी–ब्लाक भूतल पार्किंग में" जैसा है जहां है के आधार" पर की जाएगी। नीलामी की जाने वाली वस्तुएं एवं उनका आरक्षित मूल्य इस प्रकार है:–

कम संख्या	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	आरक्षित मूल्य नीलामी (प्रति पीस)	कुल राशि
1.	स्टील बेंच	22	420/-	9,240/-
2.	आगन्तुक कुर्सी	40	120/-	4,800/-
3.	लकड़ी की गद्दीदार कुर्सी	50	65/-	3,250/-
4.	स्टील स्टडी टेबल	05	420/-	2,100/-
5.	लकड़ी की स्टडी टेबल	01	185/-	185/-
6.	लकड़ी की सेंट्रल टेबल	15	110/-	1,650/-
7.	सोफा सेट 3 सीटर	15	525/-	7,875/-
8.	सोफा सेट 2 सीटर	02	315/-	630/-
9.	घूमने वाली कुर्सी	20	380/-	7,600/-
10.	पीठासीन अधिकारी की हाई बैक वाली घूमने वाली कुर्सी	12	525/-	6,300/-
11.	न्यायाधीश की डाइस वाली कुर्सी स्पिलिट ए. सी.	02	150/-	300/-
12.	व्हील चैयर	05	110/-	550/-
13.	अलमारी	05	900/-	4,500/-
14.	हॉट केस	05	70/-	350/-
15.	स्पिलिट ए.सी.	10	3,500/-	35,000/-
16.	दीवार घड़ी	34	25/-	850/-
17.	लकड़ी की टेबल डेस्क	02	22/-	44/-
	कुल			**85,224/-**

उपरोक्त निष्प्रयोज्य वस्तुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित वस्तुओ/सामानों की नीलामी उनके वजन (नीलामी तिथि को ही तौलकर) के आधार पर की जाएगी । धातु की वस्तुओं का आरक्षित मूल्य 70/– रूपये प्रति किलोग्राम गुणा उनका वजन, लोहे की वस्तुओं का आरक्षित मूल्य 32/–रूपये प्रति किलोग्राम गुणा उनका वजन, प्लास्टिक की वस्तुओं का आरक्षित मूल्य 20/ रूपये प्रति किलोग्राम गुणा उनका वजन तथा लकडी के स्क्रैप का आरक्षित मूल्य 5/प्रति किलोग्राम गुणा उनका वजन, होगा । समाचार –पत्र का आरक्षित मूल्य 19/– रूपये प्रति किलोग्राम गुणा उनका वजन, रद्दी कागज का आरक्षित मूल्य 18 रूपये प्रति किलोग्राम गुणा तथा पत्रिका का आरक्षित मूल्य 16/– प्रति किलोग्राम गुणा उनका वजन होगा

कम संख्या	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	आरक्षित मूल्य नीलामी (प्रति पीस)	कुल राशि
1.	डीजर्ट कूलर सोफा सेट	04	नहीं	नहीं
2.	कूलर स्टैंड	02	नहीं	नहीं

3.	स्टील रैक (दराज के साथ)	05	नहीं	नहीं
4.	लोहे का बॉक्स (तिजोरी)	02	नहीं	नहीं
5.	गाड़ी के स्पेयर पार्ट	सूची के अनुसार	नहीं	नहीं
6.	समाचार पत्र	200 कि. ग्रा. लगभग	नहीं	नहीं
7.	मैगजीन	50 कि. ग्रा. लगभग	नहीं	नहीं
8.	रद्दी पेपर	250 कि. ग्रा. लगभग	नहीं	नहीं
9.	स्टील रैक	05	नहीं	नहीं
10.	लकड़ी का दराज	02	नहीं	नही
11.	पुरानी नेम प्लेट	44	नहीं	नहीं
12.	पुराना ताला	20	नहीं	नहीं
13.	स्टील कैबिनेट	10	नहीं	नहीं

वर्तमान लागू कर (applicable tax) उपरोक्त आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त होंगे। निवेदक को रुपये 10,000/– (दस हजार) (लौटाए जाने योग्य) के साथ फोटो पहचान पत्र की एक प्रतिलिपि नीलामी वाले दिन दिनॉक **04.08.2025 (दोपहर एक बजे से पहले)** अनुभाग प्रभारी, देख रेख शाखा, पूर्व में जमा कराने होंगे। **नीलामी कार्य संपन्न होने के पश्चात् कुल नीलामी मूल्य की 25% नकद राशि सफल प्रतिभागी से ले ली जाएगी** तथा सभी नीलामी वाली निष्प्रयोज्य वस्तुएं नियम एवं शर्तों के अनुसार न्यायालय परिसर से हटा ली जानी चाहिये।

इच्छुक निवेदक/बोलीदाता निष्प्रयोज्य वस्तुओं का निरिक्षण किसी भी कार्यदिवस को सायं 02:00 से 04:00 बजे के दौरान कर सकता है। अन्य जानकारी देखरेख अनुभाग से प्राप्त की जा सकते हैं। प्रतिभागी अन्य प्रासंगिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानि www.delhidistrtictcourt.nic.in पर भी जा सकते हैं। नीलामी नीचे वर्णित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होगी और इसकी घोषणा मौके पर ही की जाएगी।

(सौमित्र कुमार) 18.07.2025
अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्वी, शाहदरा और उत्तर–पूर्व)
जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

नियम और शर्तें

1. जिला न्यायालय परिसर, कड़कड़डूमा, दिल्ली के बी–ब्लाक भूतल ;बी–ब्लाक बेसमेंट पार्किगंद्ध में बेकार पड़ी वस्तुओं की नीलामी दिनॉक **04.08.2025 को दोपहर 03:00 बजे** बी–ब्लाक भतल पार्किगं मे" जैसा है जहां है के आधार" पर की जाएगी।

2. सभी निष्प्रयोज्य वस्तुओं (उनके वजन के आधार पर नीलाम की जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर) का संशोधित मूल्य **85,224/-. (रुपये पिचासी हजार दो सौ चौबीस रुपये मात्र) + लागू कर,** निर्धारित किया जाता है।

3. बोली लगाने वाले को बोली के दिन यानि दिनॉक **04.08.2025 को दोपहर 01:00 बजे** से पहले शाखा प्रभारी, देखरेख अनुभाग पूर्वी जिला के पास फोटो पहचान पत्र की एक प्रति के साथ **10,000/– (रुपये रुपये दस हजार केवल) (वापसी योग्य)** नकद जमा करना होगा।

4. सफल बोलीदाता को जीएफआर–2017 के नियम 220(IV) के अनुसार बोली स्वीकार करने पर बोली मूल्य का 25: नकद में जमा करना होगा।

5. कुल नीलामी मूल्य योग्य बोलीदाता द्वारा तीन दिवसों ;बैंक अवकाश को छोड़करद्ध के भीतर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ;पूर्वद्ध, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जाएगा। असफल होने पर **25%** जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

6. सफल आवेदक द्वारा भुगतान जमा होने के तीन दिन के भीतर अदालत परिसर से नीलाम हुई वस्तुएं हटानी पड़ेंगी।

7. सफल बोली दाता कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर से नीलाम हो चुकी वस्तुओं को हटाने के लिए अपने स्वयं के श्रम और परिवाहन की व्यवस्था करेगा और परिवहन का खर्च उसके द्वारा वहन किया जाएगा।

8. परिषद् का निर्णय बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा तथा बिना कोई कारण बताए नीलामी रद्द भी की जा सकती है।

9. परिषद् नीलामी की कार्यवाही के समय किसी भी नियम और शर्तों को जोड़ने या हटाने का अधिकारी सुरक्षित रखता है और यह सभी बोलीदाताओं/प्रतिभागियों पर बाध्यकारी होगा।

18.7.2025

(सौमित्र कुमार)
अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्वी, शाहदरा और उत्तर–पूर्वी)
जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

19641-12894

संख्या...../कड़कड़डूमा न्यायालय/देखरेख अनुभाग/2025 दिनांक 18 JUL 2025

जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. व्यक्तिगत सचिव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ;पूर्वी, शाहदरा और उत्तर–पूर्वद्ध, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
2. दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सभी जिला न्यायालय परिसरों की कंप्यूटर शाखा के प्रभारियों को इस अनुरोध के साथ की नीलामी सूचना एवं नियमों और शर्तें अपनी संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करें। (हो गया)
3. सभी शाखा प्रभारी, देख–रेख शाखा, जिला केंद्रिय, पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिणी–पूर्वी, नई दिल्ली, उत्तरी–पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी–पश्चिमी और आर. ए. सी. सी., दिल्ली को इस अनुरोध के साथ की संबंधित सूचना–पट्ट पर नीलामी सम्बन्धित सूचना चिपकाएं।
4. प्रभारी, नजारत शाखा, जिला कड़कड़डूमा न्यायालय को अनुरोध के साथ कि मायापुरी स्क्रैप मार्केट के क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर नीलामी नोटिस की प्रतियां चिपकाने के लिये संबंधित प्रोसेस सर्वर को निर्देशित करें।
5. प्रभारी, देख–रेख शाखा, कड़कड़डूमा न्यायालय, नीलामी प्रकिया के लिए आवश्यक व्यवस्था हेतु।

18.7.2025

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ;पूर्वी, शाहदरा और उत्तर–पूर्वद्ध
जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली